तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकल पीठ
श्री सुरेन्द्र कुमार पुरोहित, सदस्य

उपस्थित–
श्री राजेश गौतम, अभिभाषक प्रार्थी
श्री योगेन्द्रसिंह, श्री मूलचन्द, श्री रघुनाथसिंह, अभि0 अप्रार्थी

दिनांक : 23.12.2021

निर्णय

यह निगरानी अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर द्वारा प्रकरण संख्या 153 / 2002 में पारित निर्णय दिनांक 25–8–2004 के विरूद्ध धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत की गई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 3 के नाम स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 149, 150, 386 दिनांक 7–1–99 के विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा के समक्ष अपील पेश की जो निर्णय दिनांक 30–8–2002 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तकरण में प्रार्थी के अलावा मृतक की पुत्रियों का नाम जोडने का आदेश पारित किया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने एक अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के समक्ष प्रस्तुत की जो निर्णय दिनांक 25–8–2004 द्वारा स्वीकार की गई। उनका तर्क है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने इस बात पर गौर नहीं किया कि प्रार्थी को मृतक खातेदार गांगा ने अपने जीवनकाल में जाति रस्म रिवाज के अनुसार गोद लेकर अपने तमाम अधिकार जाईन्दा पुत्र की तरह प्रार्थी को सुपुर्द कर दिये तब से प्रार्थी, गांगा की 1 / 5 हिस्सा की भूमि पर काश्त करता चला आ रहा है, जिसकी सही रूप

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	से विधिवत जांच करने के पश्चात ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण स्वीकृत किया था जिसे निरस्त करने में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने भूल की है। यदि अप्रार्थीयान अपने हक में वसीयत के आधार पर कोई स्वत्व रखती है तो उसे सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा कर अधिकार तय करवाना चाहिए था। नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसिडिंग है जिसमें कोई हक, हकूक तय नहीं होते हैं किन्तु अपील न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण तथ्य को नजरअंदाज कर आदेश पारित किया है, जो निरस्तनीय है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर का निर्णय दिनांक 25–8–2004 निरस्त किया जावे। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कथन किया कि मृतक गांगा का वादग्रस्त आराजीयात में 1/5 हिस्सा था। मृतक गांगा ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थीया के पक्ष में पंजीकृत वसीयत कर अपनी चल अचल सम्पत्ति अप्रार्थीया के नाम कर दी। किन्तु ग्राम पंचायत ने प्रार्थी के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने भी अप्रार्थीया के साथ प्रार्थी का नाम जोडने का आदेश पारित करने में त्रुटि की है, ऐसे में अधीनस्थ द्वितीय अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी की अपील को स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश निरस्त करते हुए अप्रार्थीयान के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की है। अंत में उन्होंने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के निर्णय दिनांक 25–8–2004 को विधि सम्मत बताते हुए निगरानी सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात में मृतक गांगा का 1/5 हिस्सा था। गांगा ने अपने जीवनकाल में अप्रार्थीयान के पक्ष में पंजीकृत वसीयत कर अपनी चल–अचल सम्पत्ति अप्रार्थीयान के नाम कर दी। ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण पर इस वसीयत का उल्लेख भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा भी किया गया है, जिसको नजरअंदाज कर ग्राम पंचायत कीरतपुरा ने गांगा की मृत्यु दिनांक 3–5–98 को हो जाने से नामान्तरकरण संख्या 149, 150, 386 मांगीलाल व श्रीमती वाली बेवा गांगा के नाम स्वीकृत कर दिया। जिसके विरूद्ध अप्रार्थीया सं. 1 व 2 ने उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जो निर्णय दिनांक 30–8–2002 द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 149, 150, 386 दिनांक 7–1–99 में मांगीलाल व वाली के अलावा मृतक की पुत्रियों का नाम और जोडने का आदेश पारित कर दिया। उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश दिनांक 30–8–2002 के विरूद्ध अप्रार्थीयान रोडी एवं धन्नी ने अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के समक्ष अपील पेश की। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर ने निर्णय दिनांक 25–8–2004 द्वारा अपील स्वीकार करते हुए उपखण्ड अधिकारी बडी सादडी के निर्णय दिनांक 30–8–2002 एवं ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश निरस्त किये जाने एवं तहसीलदार बडीसाइडी को अप्रार्थीयान रोडी एवं धन्नी के नाम नामान्तरकरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि ''ग्राम पंचायत की पत्रावली पर जिन–जिन व्यक्तियों के बयान लिये गये हैं उनके हस्ताक्षर भी प्रमाणित नहीं हैं। अपीलार्थीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीकृत वसीयत के मुकाबले रेस्पोडेंट संख्या 1 को गोद लेने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। रेस्पोडेंट संख्या 2 मृतक की पत्नी ने प्रथम अपील के समय अपीलांट कोर्ट में वसीयत से इनकार नहीं किया है और उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील के जवाब में अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की है। इन सभी तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपीलार्थीगण के पक्ष में नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाना विधि सम्मत है।'' अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा पारित उक्त अभिमत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के परिपेक्ष्य में पूर्णतया उचित है एवं हम उससे सहमत हैं एवं इस निगरानी में कोई सार नहीं पाते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर का निर्णय दिनांक 25–8–2004 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(सुरेन्द्र कुमार पुरोहित)** **सदस्य**	